

8.5
23

पत्रावली मंहगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2023 ग्राम पंचायत भाद्र में पेश हुई अप्रार्थीगण
के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिले शाह पठ
किये गये। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर
शाह पठ किया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर
नम्बर से कम है।

हुकमीचन्द प्रीहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठारसीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 58/23 प्राणपत्र

1- श्री सोहन s/o बालु बलाई निवासी-धुवाला तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री सत्यनारायण s/o रामा बलाई निवासी-धुवाला तहसील-माण्डल (वर्ग)
(प्रमाणित प्राणपत्र संख्या)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 08-05-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....(लागरी का रवेडा) पटवार हल्का.....(धुवाला) तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 1844, 1850, 2906/1842 कुल किता.....0.5.....रकबा.....1.0876 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा विन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 31-03-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....(लागरी का रवेडा) पटवार हल्का.....(धुवाला) तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.....1844, 1850, 2906, 2907, 2908, 1842, 1846, 1851 कुल किता.....0.5.....रकबा.....1.0876 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....माण्डल को.....800/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023